[1][धारा 101क : राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 101ख के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(i) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश है या रहा है;

(ii) एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र), जो भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क) सेवा, समूह क का सदस्य है या रहा है और जिसने समूह क में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(iii) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जो राज्य सरकार के मूल्यवर्धित कर अपर आयुक्त या राज्य कर अपर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है और जिसे किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।

(3) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष के पद की, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति की दशा में, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है :

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, वहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसको अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(5) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(6) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के रुप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।

(7) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा धारा 101क अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

निबंधन और शर्तें वें होगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्तों में या उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जाएगा।

(8) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(9) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र भी होगा।

(10) अध्यक्ष या कोई सदस्य, सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तरवर्ती के रुप में सम्यक् रुप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद पर बना रहेगा।

(11) सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी –

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें ऐसी सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रुप से असमर्थ हो गया हैं; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(ड.) उसने अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) और खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हों।

(12) उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को, सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, पद से नहीं हटाया जाएगा।

(13) सरकार, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या तकनीकी सदस्यों को, जिसकी बाबत् उपधारा (12) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है, भारत

के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पद से निलंबित किया जा सकेगा।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, या सदस्य, पद पर न रहने पर, उस राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के समक्ष, जहां वह यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, उपस्थिति होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा।**]**